

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-8
संख्या:I/1469993/2026
लखनऊ: दिनांक:18-09-2026

कार्यालय-आदेश

शहरों के ऐसे क्षेत्र, जो विकास प्राधिकरण, आवास एवं विकास परिषद तथा संगठित निजी/सहकारी क्षेत्र की योजनाओं के बाहर विकसित/निर्मित हैं, के नियोजन एवं विकास पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। ऐसे क्षेत्रों में भू-स्वामियों को भूमि जुटाव, सम्पत्ति आमेहन, पुनर्विकास, नियमितीकरण आदि की सुविधाएं प्रदान कर विकास एवं निर्माण के लिए प्रोत्साहित किये जाने की रणनीति निर्धारित है, ताकि नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके और ऐसे क्षेत्रों को शहर की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) संख्या-984/2026, सेन्टर फॉर लॉ एण्ड गुड गवर्नेन्स बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.08.2026 में अनधिकृत निर्माणों के संबंध में नियमितीकरण, ध्वस्तीकरण एवं प्रभावित व्यक्तियों के पुर्नवास से संबंधित मुद्दों पर विचार करते हुए संबंधित सरकारों को अपनी नीति निर्माण अथवा नीतियों के पुनरीक्षण के समय याचिका में उठाये गये मुद्दों पर विचार किये जाने की अपेक्षा की गई है।

2. मा0 सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अनधिकृत कालोनियों के विनियमितीकरण/नियमितीकरण के पुनर्विलोकन/समीक्षा की आवश्यकता है। अतएव, देश के विभिन्न राज्यों में प्रचलित/प्रभावी नीतियों एवं व्यवस्थाओं का अध्ययन कर उपयुक्त संस्तुतियां/सुविचारित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने हेतु एतद्वारा निम्नवत समिति का गठन किया जाता है:-

1.	सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	अध्यक्ष
2.	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण	सदस्य
3.	उपाध्यक्ष, कानपुर विकास प्राधिकरण	सदस्य
4.	उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	सदस्य
5.	उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण	सदस्य
6.	उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण	सदस्य
7.	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0	सदस्य
8.	अपर आवास आयुक्त एवं सचिव, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ	सदस्य
9.	निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ	सदस्य-संयोजक
10.	मुख्य नगर नियोजक, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	सदस्य
11.	मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण	सदस्य

3. उक्त समिति आवश्यकतानुसार अन्य विभागों, विशेषज्ञों, विकास प्राधिकरणों तथा अन्य हितधारकों से परामर्श प्राप्त कर सकेगी तथा अपनी संस्तुतियां/प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी के समक्ष 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करेगी।

Digitally signed by
 GURU PRASAD PORALA
 (पी0 गुरुप्रसाद)
 प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिवगण, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
3. उपाध्यक्ष, लखनऊ/कानपुर/गाजियाबाद/वाराणसी/मेरठ विकास प्राधिकरण, उ०प्र०।
4. निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
6. अपर आवास आयुक्त एवं सचिव, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
7. मुख्य नगर नियोजक, गाजियाबाद/लखनऊ विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
(राजेश कुमार राय)
Rajesh Kumar Rai
विशेष सचिव।
Date: 19-09-2026 13:59:31